झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची – 834001

विज्ञापन

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि :– 05.11.2014 **विज्ञापन संख्या :– 01/2014**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखंड सरकार, राँची के अन्तर्गत **"प्राचार्य" राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक** के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अर्हताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. **पद का नाम** : **"प्राचार्य" राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक**

2. **रिक्तियों का विवरण** :

अनारक्षित	अनु0जाति	अनु0 जन जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –I	पिछड़ा वर्ग –II	कुल
07	01	03	01	01	13

नोट–रिक्तियों की संख्या कोटिवार घट–बढ़ सकती है।

3. **वेतनमान** : 37,400–67,000 + ग्रेड पे– AGP-10000 & Special Allowances 2000

4. **शैक्षणिक योग्यता :**

अर्हता	अनुभव	Minimum Qualifications	Experience
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपर्युक्त शाखा में स्नातक और निष्णात डिग्री, जिसमें स्नातक अथवा निष्णात में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो और इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के उपर्युक्त विषय क्षेत्र में पी0एच0डी0 अथवा समकक्ष।	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव जिसमें न्यूनतम 03 वर्ष विभागाध्यक्ष अथवा समकक्ष के स्तर पर होना चाहिए। वास्तुकला के मामले में वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित10 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा।	Bachlor's and Masters degree of appropriate branch in Engineering/Technology with First class or equivalent either Bachelor's Master's Level and Ph.D or equivalent in appropriate discipline in Engineering/Technology.	Minimum of 10 years relevant experience in teaching/Research/Industry out of which at least 03 years shall be at the level of head of department or equivalent. In case of Architecture, professional practice of 10 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.

5. सभी कोटि के उम्मीदवारों की उम्र सीमा (Age Limit) 01.08.2013 को न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु निम्नवत् होगीः–

क्र0	श्रेणी	न्यूनतम उम्र	अधिकतम उम्र
1	अनारक्षित/अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1/पिछड़ा वर्ग–2	40 वर्ष	58 वर्ष

अर्थात् अभ्यर्थी की जन्म तिथि अनिवार्य रूप से 02.08.1955 एवं 01.08.1973 को अथवा इस अवधि में होनी चाहिए।

6. नियुक्ति हेतु चयन सीधी भर्ती के द्वारा साक्षात्कार एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगी परन्तु अभ्यर्थियों की संख्या 500 (पॉच सौ) से अधिक होने की स्थिति में आयोग द्वारा अनुवीक्षण (Screening Test) परीक्षा लिया जायेगा जो वस्तुनिष्ठ (Objective) होगा और इसी के आधार पर संक्षिप्त सूचीकरण (Short Listing) की जायेगी। यदि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की आवश्यकता होगी तो इसका पाठ्यक्रम अलग से प्रकाशित किया जायेगा।

7. **साक्षात्कार निम्न प्रकार होगा :–**

(i) **अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हेतु चयन** उनके कैरियर (शैक्षणिक) के प्रतिशत के आधार पर होगी। प्राप्तांक प्रतिशत की गणना मैट्रिकुलेशन से लेकर न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर होगी तथा उसी अनुसार औपबंधिक मेधा क्रम तैयार किया जाएगा।

(ii) **अंतिम मेधा सूची** निम्न आधार पर बनाई जायगी :–

(क) शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 100 अंक– अभ्यर्थियों का मैट्रिकुलेशन से लेकर न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर इसकी गणना आयोग के द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार होगी।

(ख) साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिये–100 अंक।

(ग) "क" एवं "ख" कंडिका के आधार पर अंतिम मेधा सूची बनाई जायेगी।

8. **आरक्षण का लाभः–**

(क) **ऑनलाइन** (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में शामिल किया जायेगा।

(ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।** केन्द्रीय सरकार के अधीन नियोजन/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के उद्देश्य से निर्गत पिछड़ी जाति (OBC) का प्रमाण पत्र भी अमान्य होगा, एवं आरक्षण का दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) **(i)** झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित कोटि के उम्मीदवार माने जायेंगे। अतएव ऐसे उम्मीदवार online आवेदन पत्र में अपनी कोटि अनारक्षित (UNR) प्रविष्ट करेंगे।

(ii) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग–I (BC-I) तथा पिछड़ा वर्ग–II (BC-II)** के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से जाति प्रमाण पत्र का निर्धारित विहित प्रपत्र–I अथवा प्रपत्र–II का विवरण **ऑनलाइन** (Online) आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना आवश्यक होगा तथा संबंधित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति मुद्रित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायेंगे। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(घ) साक्षात्कार के समय ऑनलाइन आवेदन में दिये गये प्रविष्टि (Entry) एवं मुद्रित आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की सम्बंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रदद् कर दी जायेगी।

9. **(A)** **आवेदन–प्रपत्र भरने की प्रकिया एवं अन्य अनुदेश :–**

(क) **ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आयोग के अधिकृत वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application TAB के अन्तर्गत आवेदन कैसे करें, "How to Apply" अवश्य पढ़ें।**

(ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर **Online Application System** के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ग) चयन हेतु Online आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी स्वहस्ताक्षरित वांछित प्रमाण पत्र एवं चालान की **"JPSC's Copy"** को मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(घ) चयन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी।

(ड.) Online आवेदन पत्र भरते समय सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों (अंकों के प्रतिशत सहित), उम्र संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्रों एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की सही जानकारी देना अनिवार्य होगा तथा Online आवेदन में दी गई सूचना तथा साक्षात्कार के समय दी गई सूचना में भिन्नता होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(च) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में अंकित करेंगे तथा छायाप्रति मुद्रित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे एवं साक्षात्कार के लिए चयनित होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल–प्रति भी प्रस्तुत करेंगे।

(छ) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना **स्पष्ट रंगीन फोटोग्राफ (पासपोर्ट साईज) एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थिता रदद् कर दी जायेगी।**

(ज) Online आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(झ) आवेदक अपने नाम, पिता का नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र में अंकित है।

(ञ) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही Online आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर प्रविष्टि करें।

(ट) Online आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(ठ) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ड) Online Application की मुद्रित प्रति भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर **विज्ञापन संख्या– 01/2014, आवेदित पद का नाम, कोटि का नाम एवं आवेदक का** online **निबंधन संख्या** (Registration Number) मोटे अक्षरों में अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे, अन्यथा अभ्यर्थिता स्वीकार नहीं होने के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होगें।

10. **<u>परीक्षा शुल्क :–</u>**

(i) सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II के लिए चालान द्वारा State Bank of India के किसी भी शाखा के माध्यम से 400.50 रू0 शुल्क + 17.50 रू0 Online Application शुल्क + 50.00 रू0 बैंक चार्ज, कुल– 468.00 रू0 एवं झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 100.50 रू0 परीक्षा शुल्क + 17.50 रू0 Online Application शुल्क + 50.00 रू0 बैंक चार्ज, कुल – 168.00 रू0 देय होगा।

(ii) Offline Payment के लिए चालान आयोग के वेबसाईट– www.jpsc.gov.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है।

(iii) चालान की एक प्रति **"JPSC's Copy"** ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र के Printout (मुद्रित प्रति) के साथ मूल रूप में निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति **"Depositor's Copy"** अपने पास सुरक्षित रखें।

(iv) Online Application पत्र किसी भी कारण से अस्वीकृत होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

11. **<u>अंतिम तिथि :–</u>**

(क) आवेदक Online Application System के माध्यम से **दिनांक 25.09.2014 से 24.10.2014 रात 12.00 बजे** तक ही Online आवेदन कर सकते हैं तथा Online आवेदन की मुद्रित प्रति, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो), अनुभव प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं चालान की **"JPSC's Copy"** के साथ आयोग कार्यालय को **दिनांक–05.11.2014 संध्या 5.00 बजे** तक **निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/हाथों–हाथ** निश्चित रूप से **"परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची–834001"** के पते पर प्रेषित करेंगे।

(ख) विलंबित डाक/आवेदक के स्वयं के कारणों अथवा किसी अन्य कारणों से समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर आयोग विचार नहीं करेगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वंय उत्तरदायी होगें।

ह0/–
सचिव
झारखण्ड लोक सेवा आयोग
रांची।